न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 21/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामस्वरुप जाट, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री अमित कुमार पुत्र सतपाल सिंह राजपूत चालक वाहन संख्या एचआर–55जी–9663 निवासी नखरोला, थाना एटा देहात, जिला एटा, यूपी।
2. मोनू पुत्र रामसेवक, खलासी, निवासी पृथ्वीपुरा थाना एटा देहात जिला एटा यूपी।
3. मैसर्स कोटपूतली इण्डेन गैस एजेन्सी, कोटपूतली
4. श्री प्रदीप पुत्र श्री महेन्द्र सिंह मालिक वाहन संख्या एचआर–55जी–9663 निवासी नखरोला थाना एटा देहात जिला एटा यूपी।

4. निर्णय दिनांक : 25.07.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली, जयपुर श्री रामस्वरुप जाट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 12–07–2014 को थाना प्रभारी पनियाला की सूचना पर पुलिस थाना पनियाला पंहुचे। मौके पर प्रस्तुत तहरीर के अनुसार वाहन संख्या एचआर 55जी 9663 के चालक अमित कुमार पुत्र सतपाल सिंह व खलासी मोनू पुत्र रामसेवक द्वारा अवैध रुप से घरेलू सिलेण्डरों का परिवहन कर हरियाणा लेकर जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा उक्त वाहन को एनएच 8 पर रोक कर जांच की गयी। जांच में वाहन चालक व खलासी से पूछताछ करने पर संदिग्ध पाये जाने व वैध दस्तावेजों के अभाव में पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी ली गयी। तलाशी में वाहन में 50 एलपीजी घरेलू गैस के राज सहायता मुक्त इण्डेन कम्पनी के भरे हुये सिलेण्डर मय 706.6 किग्रा. पाये गये एवं 47 उपभोक्ता डायरियां पायी गयी। उक्त सिलेण्डरों व डायरियों को अवैध रुप से कालाबाजारी के उद्देश्य से संग्रहित व परिवहन होते हुए पाने पर वाहन मय चालक व खलासी के थाने लाये गये। चालक व खलासी ने उक्त सिलेण्डरों, डायरियों व वाहन के बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने, कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में इण्डेन कम्पनी के 50 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर मय 706.6 किग्रा., 47 उपभोक्ता डायरियां व वाहन संख्या एचआर–55जी–9663 को जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, फर्द पूछताछ आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 को साधारण नोटिस व बाद में रजि. नोटिस पेश किये हैं, जो बाद तामील प्राप्त नहीं हुए ना ही अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 उपस्थित हुए। एक माह व्यतीत होने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 27.07.2022 को नोटिस का प्रत्युत्तर व लिखित अभ्यावेदन पेश किया गया जिसमें अंकित है कि उक्त प्रकरण में वर्णित तथ्य पूर्णरुप से गलत एवं मनगढंत अंकित किये गये हैं। कोटपूतली गैस एजेन्सी को दिनांक 30.09.2009 से इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० द्वारा

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अपना वितरक नियुक्त कर रखा है। फर्म ने राजस्थान उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 के प्रावधानों के तहत उक्त कारोबार हेतु जिला रसद अधिकारी जयपुर से अनुज्ञप्ति संख्या 410/2009, दिनांक 18.09.2009 प्राप्त कर रखी है। उक्त आदेश 1990 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 09.05.2017 के द्वारा अपास्त कर दिया। इस प्रकार द्रवित पेट्रोलियम गैस के भण्डारण, कारोबार तथा परिवहन आदि पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं रहा। फर्म ने द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डरों के भण्डारण हेतु संयुक्त मुख्या विस्फोटक नियन्त्रक, फरीदाबाद से विस्फोटक की अनुज्ञप्ति संख्या जी/एन.सी./आरजे/06/907 (जी25382) दिनांक 18–9–2009 प्राप्त कर रखी है। अप्रार्थी फर्म द्वारा पंजीकृत उपभोक्ताओं को वाहन संख्या 2–जीए–5802 द्वारा गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी जाती थी परन्तु दिनांक 12.07.2014 को उक्त ट्रक खराब होने से गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी हेतु एक अन्य ट्रक संख्या 55 जी–9663 से इकरारनामा कर सिलेण्डर डिलीवरी के लिये लिया गया। उक्त ट्रक को थानाधिकारी पनियाला द्वारा हरियाणा बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले डिटेन कर लिया व सिलेण्डर, डायरियां भी जब्त कर लिया। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि केन्द्रीय आदेश 2000 के किस खण्ड का उल्लंघन किया है। उक्त पुलिस निरीक्षक को आदेश 2000 के खण्ड 13 के तहत ट्रक को डिटेन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। अन्त में निवेदन किया है कि नोटिस विद्रा फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (क) निरस्त फरमाया जावे तथा अभिगृहित किये ये 50 एलपीजी सिलेण्डर व 47 डायरियां वापस दिलवाये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सख्या 1, 2 व 4 की ओर से आज भी कोई उपस्थित नहीं। मुख्य रुप से मैसर्स कोटपूतली इण्डेन गैस एजेन्सी कोटपूतली के साथ अन्य अप्रार्थी सहआरोपी है। लिखित बहस में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कथन किया है कि उनकी फर्म को इन्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 (सरकारी तेल कम्पनी) द्वारा गैस सिलेण्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के क्रय विक्रय हेतु भण्डारण के कारोबार हेतु अपना वितरक दिनांक 30.09.2009 से नियुक्त किया हुआ है। उक्त कारोबार हेतु जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा अनुज्ञप्ति सं. 410/2009 दिनांक 18.09.2009 भी ली हुई है। इसी क्रम में अप्रार्थी द्रवित गैस की आपूर्ति (क्रय विक्रय) करता आ रहा है। जिनका स्टॉक नियमित रुप से संधारण किया जाता है। राज्य सरकार के आदेश (मार्गदर्शन) दिनांक 12.01.2001 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम्पनियों को एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिये 30 किलोमीटर की परिधि बढाने जाने की अनुमति पारित की गई है।

अप्रार्थी की फर्म से उपभोक्तओं का वितरण एरिया लगभग 15 किलोमीटर के लगभग है, जो नियमानुसार ही है, उक्तानुसार होम डिलीवरी के लिये ही वाहन में सिलेण्डरों को भरकर गांवों का रुट तय कर वितरण हेतु ले जाया जा रहा था। जैसा कि मौका रिपोर्ट में भी अंकित है। जिस वाहन में सिलेण्डर वितरण हेतु ले जाया जा रहा था। उक्त वाहन के साथ डिलीवरी हेतु चालक एवं खलासी को उपभोक्ताओं की 47 डायरियां एवं पर्चियां दी गई तथा 50 सिलेण्डर एलपीजी भरे हुए सुपुर्द किये गये थे। बहस के दौरान गेटपास की रसीद के मूल पैड डायरी पेश की, जिसकी एक प्रति वाहन चालक को वाहन में सिलेण्डर ले जाते वक्त गेटपास के तौर पर दिया जाता है तथा दूसरी प्रति डायरी में ही रिकॉर्ड में रखी जाती है। उक्त वाहन को पनियाला थाना पुलिस द्वारा हरियाणा बार्डर जो कि अप्रार्थी फर्म के वितरण एरिया से लगता हुआ है से 8–10 किलोमीटर पहले ही रोक कर जब्त कर लिया। जहां वाहन जब्त किया गया वो एरिया वितरण रुट चार्ट में ही सम्मिलित था। ऐसे में हरियाणा के किसी व्यक्ति को गैस बेचने या पंहुचाने का कोई सबूत नहीं था। फिर भी अप्रार्थी के सिलेण्डर व लोडिंग वाहन जो ट्रांसपोर्ट कम्पनी का एग्रीमेंटशुदा वाहन था को एन.एच. 8 पर मोलेहडा से सांगठेडा कोटपूतली के बीच चाय की थडी पर पकडा था। जो ना तो हरियाणा बॉर्डर पर था ना ही बॉर्डर क्रास किया था। वाहन को जहां पकडा गया था वहां से

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हरियाणा बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से एक अधिकृत फर्म द्वारा नियमानुसार अधिकृत वाहन द्वारा अपने अधिकृत क्षेत्र में एलपीजी गैस वितरण करने वाले वाहन के अनाधिकृत रुप से जब्त किया गया है। प्रकरण में एफ.आई.आर. सं. 186 दिनांक 12.07.2014 में सम्बन्धित थाना में दर्ज हुई थी जिसकी अन्तिम रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण द्वारा फरमाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी कोटपूतली से राय प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। जिन्होंने अपनी राय में फरमाया है कि परिवहन की साधन पर लदी हुई वस्तुओं की पुष्टी हेतु बिल, वाउचर गेट पास दिया गया है, जिसकी प्रति शामिल पत्रावली है। मौके पर वाहन चालक व सहचालक द्वारा रसद अधिकारियों को उक्त गेट पास पेश नहीं करने एवं संतोषप्रद जवाब नहीं देना प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं बयान प्रवर्तन निरीक्षक से होती है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा फरमाये गये बिन्दू संख्या 2 अनुसार प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन व गैस सिलेण्डर जो सम्बन्धित गैस एजेन्सी के कार्यालय से 15 किलोमीटर पश्चिम में ही आता है तथा बिन्दु संख्या तीन में अंकित अनुसार मौके पर जब्तशुदा वाहन के चालक व सहचालक से जब्तशुदा गैस उपभोक्ता डायरियां जो एलपीजी आदेश 2000 मे प्रावधान में वर्णित नहीं है, जिस सम्बन्ध में गैस एजेन्सी संचालक या अन्य किसी कर्मचारी का दोष नहीं है। प्रकरण मे जब्तशुदा गैस डायरियों के उपभोक्ताओं से की गई दरियाफ्त पर स्वयं द्वारा डिलीवरी मैन को गैस सिलेण्डर बुक करवाने हेतु देना बताया है तथा बिन्दु संख्या 4 के संबंध में अंकित अनुसार सम्बन्धित गैस एजेन्सी के संचालक या अन्य किसी कर्मचारी का दोष नहीं रहा है। ऐसे में एजेन्सी का जब्तशुदा समस्त माल मय जब्त रिकॉर्ड के रीलीज किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 को वापस दिलाया जावे।

इसी क्रम में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा नजीरे पेश की गई है:–

1. 1996 (2) आर.एल.डब्ल्यू. (राज0) 682
2. 2012 (1) ई.एफ.आर. 361 पैरा 17
3. ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 713 मल्कियत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
4. 1996(2) ई.एफ.आर. 625 जगमोहन उर्फ मनोहर लाल स्टेट ऑफ यू.पी.

" In the instant case, rice which was being carried onby bus was 15 bags, weighing in all 50 kgs, without permit- But was intercepted 22 iles before the border of block. Thus, provisions of Order, 1970 - Not contravened because it amounted only to preparation to carry rice out of border of block. Conviction under Sections 3 and 7. Cannot be sustained. (Paras7, 8 and9) "

5. 2014(2) क्राईम्स 645 राकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.

" Essential Commodities Act, 1955 Section 3(2h) (1) read with Section 7(la) (1) Criminal Procedure Code, 1973 Section 374 Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 1993 - Rule 4 Illegal transportation of L.P.G. Cyinders. Conviction Transpport and store of cylinders filled with LPG gas is not illegal except if same was not transported in upright position. Appellant was found in possession of gas cylinders (some were filled and some were empty) along with consumer cards. Appellant was not involved in any illegal transportation of LPG gas cylinders. Trial Court committed illegality in recording conviction under Section 3 (2h) (1) read with Section 7 (1a) (a) of Essential Commodities Act against appellant and same is liable to be set aside. Impugned judgment passed by Special Judge set aside and appellant acquitted."

पत्रावली में बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27/07/2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम अमित कुमार

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 12.07.2014 को पुलिस थाना पनियाला द्वारा वरवक्त वैध दस्तावेजों के अभाव में कालाबाजारी के उद्देश्य से गैस सिलेण्डरों का अवैध परिवहन, क्रय विक्रय मानते हुए वाहन, गैस सिलेण्डरों व उपभोक्ताओं की डायरियों को जब्त किया गया। मैसर्स कोटपूतली इण्डेन गैस एजेन्सी को इन्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा गैस सिलेण्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के क्रय विक्रय हेतु, भण्डारण के कारोबार हेतु अपना वितरक नियुक्त किया हुआ है साथ ही उक्त कारोबार हेतु जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा भी अनुज्ञप्ति ली हुई है। उक्त वाहन द्वारा होम डिलीवरी के लिये वाहन में सिलेण्डरों को भरकर गांवों का रुट तय कर वितरण हेतु ले जाया जा रहा था। प्रकरण में हरियाणा के किसी व्यक्ति को गैस बेचने या पंहुचाने का कोई सबूत नहीं मिला है। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश, 1990 के मार्गदर्शन पत्र क्रमांकः एफ.17(13) खा.वि./विधि/91 जयपुर 04 जून 2001 द्वारा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त वास्ते समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी, राजस्थान विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17(13) खा.वि./विधि 91 दिनांक 12.01.2001 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को द्रवित पेट्रोलियम गैस समुचित मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए अनुज्ञापत्र धारियों को अपना कारोबार 30 किलोमीटर क्षेत्र में वितरण करने तथा विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी गई थी। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के मार्गदर्शन क्रमांकः एफ 65(1) खा.वि./एल.पी.जी./05 जयपुर 23 नवम्बर, 2005 द्वारा जारी निर्देशों मे ''उपभोक्ताओं को गैस शत प्रतिशत होम डिलीवरी दी जावेगी'' बिन्दु संख्या 3 में अंकित है। वाहन को जहां पकडा गया था वहां से हरियाणा बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर है। परिवहन के साधन पर लदी हुई वस्तुओं की पुष्टी हेतु बिल, वाउचर गेट पास दिया गया है। पत्रावली में शामिल पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जब्तशुदा गैस डायरियों के उपभोक्ताओं से की गई दरियाफ्त पर स्वयं द्वारा डिलीवरी मैन को गैस सिलेण्डर बुक करवाने हेतु देना बताया है। दौराने बहस गेटपास की मूल डायरी अप्रार्थी द्वारा पेश की, जिसका मिलान प्रस्तुत प्रति से किया गया, जो सही होना पाया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट नहीं है कि उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों को कालाबाजारी के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था एवं न ही ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली मे उपलब्ध है जिससे उक्त गैस सिलेण्डर हरियाणा के किसी व्यक्ति को बेचना या हरियाणा में पंहुचाना जाहिर होता हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त जब्तशुदा सामान फर्द अनुसार इण्डेन कम्पनी के 50 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर मय 706.6 किग्रा., 47 उपभोक्ता डायरियां व वाहन संख्या एचआर–55जी–9663 को रिलीज किये जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। तदानुसार जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को तहरीर जारी हो कि निम्नानुसार जब्तशुदा सामग्री को सम्बन्धित को विधिवत सुपुर्द करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।